XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–59/2009

जायमाला देवी, पति सुधीर प्रसाद यादव, साकिन–चाँदपुर भंगहा, थाना– जानकीनगर, जिला– पूर्णियाँ

.....

आवेदक

बनाम

1. राज्य
2. भूपेन्द्र यादव, पिता स्व0 काली यादव साकिन– चाँदपुर भंगहा, थाना– जानकीनगर, जिला– पूर्णियाँ

.....

विपक्षी

आदेश

आवेदिका द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा नामान्तरण वाद सं0–37/07–08 में दिनांक 25.05.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। आवेदिका का कथन है कि विपक्षी सं0–2 आवेदिका का ससुर है और आवेदिका को ससुराल के अन्य सदस्य विभिन्न तरह की यातनायें दे रहा है। आवेदिका अपने तथा बच्चों के भरण–पोषण के लिए समाज के लोगों से मदद मांगी। फलस्वरूप मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष पंचायत द्वारा आवेदिका एवं उसके बच्चों भरण–पोषण के लिए कुछ जमीन (प्रश्नगत जमीन) ससुर द्वारा दिलाया गया और उसी पंचनामा के आधार पर आवेदिका ने अंचल कार्यालय, बनमनखी से हिस्से में मिली जमीन का नामान्तरण अपने नाम से करवाई, जिसका नामान्तरण वाद सं0–42/07–08 है। तदुपरान्त विपक्षी सं0–2 अंचल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0–37/07–08 दाखिल किया। जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने पंचनामा को फर्जी कहकर नामान्तरण को रद्द करने का आदेश दिया।

अतः आवेदिका भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर रही है।

विपक्षी ने आवेदिका द्वारा आरोपित तर्क को बेबुनियाद, आधारहीन एवं गलत बताया है। आवेदिका ने गलत तरीके से फर्जी पंचनामा के आधार पर जमीन का नामान्तरण अंचल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा नामान्तरण वाद सं0–37/07–08 के द्वारा अपने नाम करवा ली। इस नामान्तरण की प्रकिया में विपक्षी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। आवेदिका ने जिस पंचनामा के आधार पर जमीन का नामान्तरण करवाई, उस पंचनामा पर भी मेरा हस्ताक्षर नहीं है और नही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा पंचायत किया गया था। अंचल पदाधिकारी द्वारा नामान्तरण सं0–37/07–08 में किसी भी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच कर नामान्तरण अपील वाद सं0–37/07–08 में आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः विपक्षी द्वारा इस न्यायालय से इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 22.07.2011 को दोनों पक्ष को सुना गया। आवेदक का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा समझौता परिषद् के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को नजर अन्दाज करते हुए विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जो गलत है। विपक्षी का कहना है कि विवादित जमीन पर दावा करने का आवेदिका का कोई अधिकार नहीं है।

पुनः दिनांक 09.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ